महत्वपूर्ण / कोविड–19
संख्या–746 / पॉच–5 / 2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2020

विषयः–लॉक डाउन के दौरान प्रदेश में निजी चिकित्सालयों को खोलने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के समय में आप के द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस विपरीत समय में समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि वह अपेक्षित सहयोग करे।

जनपदों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ निजी चिकित्सालयों द्वारा अपने चिकित्सालय या तो इस समय बन्द कर दिये गये हैं या उनके द्वारा अधिकांश मरीजों को देखा ही नहीं जा रहा है। कृपया इस संदर्भ में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

(1) लॉक डाउन के दौरान निजी चिकित्सालयों को खोलने की व्यवस्था की जाए। चिकित्सालय के प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाए कि वे चिकित्सा एवं उपचार हेतु प्रयोग में आने वाले उपकरण को क्रियाशील रखें, चिकित्सकों / पैरामेडिकल स्टाफ की एक निश्चित अवधि के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखें।

(2) निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें अवगत कराया जाय कि सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए भी मरीजों को देखा जा सकता है।

(3) चिकित्सालयों में समुचित चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने हेतु IMA (Indian Medical Association) का सहयोग भी प्राप्त किया जाए।

(4) यदि कोई चिकित्सालय वार्ता के बाद भी उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करता है तो समुचित प्रावधानों के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जाय।

2– कृपया उक्त के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
30.3.20

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या– 746 (1) / पांच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

आज्ञा से,
30.3.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।